न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 17/2019

बउनवानः–

रामकरण पुत्र रतनलाल जाति मीणा निवासी धूमरखेडी तह0 मांगरोल

......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0 1955

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादी : स्वयं वादी

निर्णय दिनांक : 12.02.2019

दायरा दिनांकः 8-2-19

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम धूमरखेडी की जमाबंदी चौसाला सम्वत 2074–77 की खाता संख्या 7 में वादी रामकरण पुत्र रतनलाल मीणा निवासी धूमरखेडी का नाम सहवन से करण पुत्र रतना दर्ज है, जबकि मुताबिक वादी वादपत्र एवं छाया प्रति आईडी, आधार कार्ड राशनकार्ड, एस0बी0बी0जे बैंक शाखा सीसवाली की पास बुक में रामकरण पुत्र रतनलाल दर्ज हो रहा है।

वाद पत्र की पुष्टि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा की गई है इस प्रकार वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी, अनुशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जो प्रतिवादी है यह भली प्रकार सिद्ध है कि वाद पत्र के अनुसार वादी को करणा व रामकरण पुत्र रतनलाल दोनो नाम से जाना जाता है।

अतः चौसाला जमाबंदी खाता संख्या 7 सम्वत 2074–2077 ग्राम धूमरखेडी में दर्ज नाम करण पुत्र रतना के स्थान पर रामकरण उर्फ करणा पुत्र रतना जाति मीणा निवासी धूमरखेडी इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार पालना करें।